झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

दिनांक 06/06/2023

संख्या 15/नि01–02/2021...765/ भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त हेतु गठित "सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2022" में निम्नांकित संशोधन करते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**
   (क) यह नियमावली झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय **सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2023** कही जाएगी।
   (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
   (ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **नियमावली के नियम–2 के परिभाषा खण्ड में उपखण्ड '(ड)'–"इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य** " से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत अर्हताधारी सहायक आचार्य।

   " को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है
   "इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य" से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालय/ स्तर हेतु कार्यरत अर्हताधारी सहायक आचार्य।

3. **नियमावली के नियम–2 के परिभाषा खण्ड में उपखण्ड 'न'–"पिछड़ा वर्ग–1 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग–2** " से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (श्रेणी–**I** एवं श्रेणी–**II**) के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

   " को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है
   "**अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (श्रेणी–**I** एवं श्रेणी–**II**) के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।"

4. **नियमावली के नियम–2 के परिभाषा खण्ड में उपखण्ड 'प'–"आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग** " से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

   "को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है
   "**आर्थिक रूप से कमजोर** नागरिकों **का वर्ग** " से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।"

5. नियमावली के नियम–2 के परिभाषा खण्ड में उपखण्ड 'व' के पश्चात् उपखण्ड 'भ' के रूप में "विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य" की परिभाषा को निम्नवत् जोड़ा जाता है:–

"**विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य**"– भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जो कि प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों।

6. **झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2022 की नियम–3 (ग) के परन्तु (i) के प्रावधान** :–

"प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा आधारित कार्यरत कर्मियों जिनकी सेवा **विज्ञापन** प्रकाशन की **तिथि** को **न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष** की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की **तिथि** को कार्यरत हो, को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा **विज्ञापन** प्रकाशन की **तिथि** को **न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष** की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की **तिथि** को कार्यरत हो, को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।"

7. **नियमावली के अध्याय–2 के नियम–3 (घ) (2) में प्रावधान है :–**

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए– नियम–3(च)(ii)(अ) में उल्लिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक **योग्यता** तथा नियम 3(च)(ii)(ब) में वर्णित शिक्षक अहर्ता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण एवं **स्नातक स्तर पर** अध्ययन का विषय निम्नवत् हो :–

(i) **गणित एवं विज्ञान शिक्षक–** निम्नलिखित विषयों में स्नातक (विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा)।
(क.) गणित, (ख.) भौतिकी, (ग.) रसायनशास्त्र, (घ.) वनस्पति विज्ञान (च.) प्राणी विज्ञान।

(ii) **सामाजिक विज्ञान शिक्षक–** निम्नलिखित विषयों में स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा)।
(क.) इतिहास, (ख.) भूगोल, (ग.) राजनीतिशास्त्र, (घ.) अर्थशास्त्र (च.) समाजशास्त्र (छ.) लेखा शास्त्र (ज.) व्यापार अध्ययन (Business Studies)।

(iii) **भाषा शिक्षक–** अंग्रेजी एवं हिन्दी के अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–453, दिनांक 18.02.2022 से अधिसूचित जिलावार भाषा में से किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किये गये संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे।

"**को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है**

"**स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य–** नियम–3(च)(ii)(अ) में उल्लिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा नियम 3(च)(ii)(ब) में वर्णित शिक्षक अहर्ता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण एवं स्नातक स्तर पर अध्ययन का विषय निम्नवत् हो :–

(i) **गणित एवं विज्ञान शिक्षक**– निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक (विज्ञान) या विज्ञान स्नातक (प्रतिष्ठा)।
(क.) गणित, (ख.) भौतिकी, (ग.) रसायनशास्त्र, (घ.) वनस्पति विज्ञान (ङ.) प्राणी विज्ञान।

(ii) **सामाजिक विज्ञान शिक्षक**– निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा)।
(क.) इतिहास, (ख.) भूगोल, (ग.) राजनीतिशास्त्र, (घ.) अर्थशास्त्र (ङ.) समाजशास्त्र (च.) लेखा–शास्त्र (छ) व्यापार अध्ययन।

(iii) **भाषा शिक्षक**– अंग्रेजी एवं हिन्दी के अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–1427, दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा) विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किये गये संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे।

8. **नियमावली के नियम–3 (ङ०) में निम्नांकित प्रावधान है:–**
अभ्यर्थी जिस विषय/विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय/विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे। एवं जिले के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय भाषा/जनजातीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले विशेष में नियुक्ति के योग्य होंगे।

"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है
अभ्यर्थी जिस विषय/विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय/विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे।

9. **नियमावली के नियम–3 (च) (i) में निम्नांकित प्रावधान है:–**
प्राथमिक विद्यालय (1 से 5) (इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय) के सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु **अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।**
परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।
उपरोक्त शर्तें पूरा करने वाले अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों –
"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है
"प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों"

10. **नियमावली के नियम–3 (च) (i) (अ) में निम्नांकित प्रावधान है :–**
न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ **+2 उत्तीर्ण** या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में **द्विवर्षीय** डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ **उच्चतर माध्यमिक** अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में **द्विवर्षीय डिप्लोमा** (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय सहायक अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार **सत्र 2007–2009** तक प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 **उत्तीर्ण** या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा **4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक** (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 **प्रतिशत** अंकों के साथ +2 **उत्तीर्ण** या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में **द्विवर्षीय डिप्लोमा**

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में **द्विवर्षीय डिप्लोमा** (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका–3(च)(i)(अ) के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात "न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड./द्विवर्षीय बी.एड./बी.एड. (विशेष शिक्षा)" के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि **नियुक्ति के पश्चात** राष्ट्रीय सहायक आचार्य शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में अधिकतम दो वर्ष के अन्दर **छः माह का ब्रिज (सेतु) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।** अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नही होगा तथा रद्द कर दिया जायेगा।

उक्त प्रावधान में अंकित शब्द समूह"राष्ट्रीय सहायक आचार्य शिक्षा परिषद्" को विलोपित करते हुए "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद" से प्रतिस्थापित किया जाता है।

11. **नियमावली के नियम–3 (च) (i) (ब) में निम्नांकित प्रावधान है :–**

"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण।"

"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण।"

12. नियमावली के **नियम**–3 (च) (ii) में निम्नांकित प्रावधान है :–

"उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) के (स्नातक प्रशिक्षित स्तरीय) सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु **अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।**

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है–

"उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 में) स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी निम्नलिखित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शर्तों को पूरा करते हों"

13. दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य के योग्यता निर्धारित करने हेतु नियमावली के नियम–3 के बाद नियम–3 (A) के रूप में निम्नांकित प्रावधान को अन्तःस्थापित किया जाता है: –

(i)(क) इन्टरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 1 से 5)– वे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:–

+2 उत्तीर्ण या उच्चातर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय D.Ed (XII[th] passed and two year D.Ed. Special Education in any of the category of disability)

या

+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में दो वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XII[th] passed and two year Diploma in Special Education (DSE) in any of the category of disability.)

या

सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

या

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

या

बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.)

या

दृष्टि दोष में प्रारंभिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary level Teacher Training course in Visual Impairment.)

या

(Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with special Needs.)

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।

(ii)(क) स्नातक प्रशिक्षित विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य (वर्ग 6 से 8)– नियमावली की नियम–3 (च) (ii) (अ) में वर्णित योग्यता में से प्रशिक्षण योग्यता को छोड़कर विहित योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी :–

1. B.Ed. in Special Education from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No. or B.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved Institution equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.
2. Six Month training of teaching in cross disability area in inclusive education (**)

(*) RCI makes effort to design and conduct such training programme through its approved Institution for in service/pre-service general teachers.

(**) If the proposed programme (cross disability/top up courses being developed by RCI as an in- service training) is not available, the same may be dopped from the qualification with a condition that those recruited with D.Ed./B.Ed. Special Education or equivalent qualification have to compulsorily undergo aforesaid training as soon as the same is conducted.

(ख) झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) में उत्तीर्ण।

14. **नियमावली के अध्याय–3 के नियम–5 (ख) में निम्नांकित प्रावधान हैः–**

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य इस श्रेणी के अन्दर विषयवार सहायक आचार्यों की तीन उप श्रेणियाँ निम्नवत् होगी :–

(i) **गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य**

(ii) **सामाजिक विज्ञान सहायक आचार्य**

(iii) **भाषा सहायक आचार्य**

वेतनमान लेवल –5 (28,200 + सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य भत्ते)

"उपरोक्त नियमावली के वेतनमान लेवल–5 में अंकित 28200/– को 29200 से प्रतिस्थापित किया जाता है।"

15. नियमावली के नियम–(6) में अंकित "इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित् रिक्तियों में से **50 प्रतिशत पद केन्द्र/राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अन्तर्गत झारखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदाधारी कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों, के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे।"** को निम्नवत् **प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

"इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित् रिक्तियों में से **50 प्रतिशत पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों, के लिए आरक्षित रहेंगे।"**

16. **नियमावली के नियम–7 (i) में निम्नांकित प्रावधान है:–**

आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण (संविदा कर्मियों के लिए प्रावधानित क्षैतिज आरक्षण को छोड़कर) की सुविधा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के नियमों के अनुसार देय होगा।

"को निम्नवत् **प्रतिस्थापित किया जाता है**

"उदग्र आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण की सुविधा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के नियमों के अनुसार देय होगा।"

17. **नियमावली के नियम–7 (ii) में निम्नांकित प्रावधान है:–**

झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन सहायक आचार्य की नियुक्तियों में किया जायेगा तथा आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार (अनुमंडल पदाधिकारी से अन्यून स्तर) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा।

"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

"झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन सहायक आचार्य की नियुक्तियों में किया जायेगा तथा आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र/ आवासीय प्रमाण–पत्र जो लागू हो के आधार पर अनुमान्य होगा।"

18. **नियमावली के अध्याय–4 के नियम–8 (ख) में अंकित प्रावधान है:–**

इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के **कठिनाई का स्तर +2/इण्टर होगा** और झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेगें। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा:–

क्र.	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A.	**(i) जन–जातीय एवं क्षेत्रीय भाषा** – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–453, दिनांक 18.02.2022 से अधिसूचित जिलावार भाषा में से कोई एक भाषा।	70	70	2.30 घंटे
B.	**(ii) माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृति)**	100	100	2.00 घंटे
C.	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी–	40	40	2.30 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान –	70	70	
	(iii) विज्ञान एवं गणित –	70	70	
कुल		250 + 100 (अर्हक प्रवृति)	250 + 100 (अर्हक प्रवृति)	

"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के **कठिनाई का स्तर +2/इण्टर होगा** और झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से 12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जायेगें। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

क्र.	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A.	**माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृति)**	100	100	2:00 घंटे
B.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-1428, दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।	100	100	2:00 घंटे
C.	(i) सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	50	50	03:00 घंटे
	(ii) सामाजिक विज्ञान -	75	75	
	(iii) विज्ञान एवं गणित -	75	75	
कुल		300 + 100 (अर्हक प्रवृति)	300 + 100 (अर्हक प्रवृति)	

19. **नियमावली के अध्याय-4 के नियम-8 (ग) में अंकित प्रावधान है:-**

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के **कठिनाई का स्तर स्नातक** स्तरीय होगा।

क्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A.	(i) **जन-जातीय एवं क्षेत्रीय भाषा** - कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-453, दिनांक 18.02.2022 से अधिसूचित जिलावार भाषा में से कोई एक भाषा। (ii) **माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक** प्रवृत्ति)	100 70	100 70	2:00 घंटे 2:00 घंटे
B.	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी-	100	100	2.00 घंटे
C.	**वैकल्पिक विषय (कोई एक)-**			
(I)	**गणित एवं** विज्ञान **शिक्षक** - **(i)** गणित, **(ii)** भौतिकी, **(iii)** रसायनशास्त्र, **(iv)** वनस्पति विज्ञान तथा (v) प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र पाँच खण्डों में विभक्त होगा (अभ्यर्थी किसी तीन खण्ड से ही उत्तर दे सकेंगे)	150	150	2.30 घंटे

(II)	**सामाजिक विज्ञान शिक्षक– (i)** इतिहास, **(ii)** भूगोल, **(iii)** राजनीति विज्ञान, **(iv)** अर्थशास्त्र **(v)** समाज शास्त्र **(vi)** लेखा शास्त्र **(vii)** व्यापार अध्ययन (Business Studies) में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र सात खण्डों में विभक्त होगा, जिसमें किसी तीन खण्डों को ही उत्तर देना होगा।	150	150	
(III)	**भाषा** शिक्षक– **(i)** अंग्रेजी एवं **(ii)** हिन्दी/उर्दू में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जायेगा, जिसमें 50 प्रतिशत प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50 प्रतिशत प्रश्न हिन्दी/उर्दू से पूछे जायेंगे।	150	150	
	कुल	350 + 70 (अर्हक प्रवृति)	350 + 70 (अर्हक प्रवृति)	

"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के **कठिनाई** का स्तर **स्नातक** स्तरीय होगा।

क्र	विषय	प्रश्न	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि
A.	**माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक (अर्हक प्रवृत्ति)**	100	100	2:00 घंटे
B.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या–1427, दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।	100	100	2:00 घंटे
C.	सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी–	100	100	2.00 घंटे
D.	**वैकल्पिक विषय (कोई एक) –**			
(I)	**गणित एवं विज्ञान शिक्षक – (i)** गणित, **(ii)** भौतिकी, **(iii)** रसायनशास्त्र, **(iv)** वनस्पति विज्ञान तथा **(v)** प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र पाँच खण्डों में विभक्त होगा (अभ्यर्थी किसी तीन खण्ड से ही उत्तर दे सकेगें)	200	200	03.00 घंटे
(II)	**सामाजिक विज्ञान शिक्षक– (i)** इतिहास, **(ii)** भूगोल, **(iii)** राजनीति विज्ञान, **(iv)** अर्थशास्त्र **(v)** समाज शास्त्र **(vi)** लेखा शास्त्र **(vii)** व्यापार अध्ययन (Business Studies) में से प्रश्न पूछा जायेगा। इसमें प्रश्न पत्र सात खण्डों में विभक्त होगा, जिसमें किसी तीन खण्डों को ही उत्तर देना होगा।	200	200	

(III)	भाषा शिक्षक– (i) अंग्रेजी एवं (ii) हिन्दी/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 द्वारा अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप में प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से एवं 50% प्रश्न हिन्दी/उपरोक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाऐंगे।	200	200	
कुल		400 + 100 (अर्हक प्रवृति)	400 + 100 (अर्हक प्रवृति)	

20. **नियमावली के नियम–8 (ङ) में अंकित प्रावधान है:–**

वर्ग 1 से 5 के लिए परीक्षा तीन पाली में आयोजित की जायेगी जिसमें प्रथम पाली में कंडिका–(ख)(A) द्वितीय पाली में कंडिका–(ख) (B) (i) एवं तृतीय पाली में कंडिका–(ख) (C) (i), (ii), (iii) की परीक्षा होगी और प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार होगी।

"**को** <u>निम्नवत् **प्रतिस्थापित किया जाता है**</u>

वर्ग 1 से 5 के लिए परीक्षा तीन पाली में आयोजित की जायेगी जिसमें प्रथम पाली में नियम–8(ख)(A) द्वितीय पाली मे नियम–8(ख) (B) एवं तृतीय पाली में नियम–8(ख) (C) (i), (ii), (iii) की परीक्षा होगी और प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार होगी।

21. **नियमावली के नियम–8 (च) में अंकित प्रावधान है:–**

वर्ग 6 से 8 के लिए परीक्षा तीन पाली मे आयोजित की जायेगी जिसमें प्रथम पाली में कंडिका–(ग) (A) (i) द्वितीय पाली में कंडिका–(ग) (A) (ii), तृतीय पाली में कंडिका–(ग) (B) एवं चतुर्थ पाली मे कंडिका–(ग) (C) (I) (II) (III) की परीक्षा होगी और प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार होगी।

"**को** <u>निम्नवत् **प्रतिस्थापित किया जाता है**</u>

वर्ग 6 से 8 के लिए परीक्षा चार पाली में आयोजित की जायेगी जिसमें प्रथम पाली में नियम–8(ग) (A) द्वितीय पाली में नियम–8(ग) (B) तृतीय पाली मे नियम–8(ग) (C) एवं चतुर्थ पाली में नियम–8(ग) (D) (I) (II) (III) की परीक्षा होगी और प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार होगी।

22. **नियमावली के नियम–8 (च) (i) में अंकित प्रावधान है:–**

इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए निरूपित **अनिवार्य विषय के कंडिका–**(ख) (B) (i) एवं कंडिका–(ग) (A) (i) (ii) **(माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक)** में न्यूनतम 30 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों के उत्तर पुस्तिका की जॉच की जायेगी। इसका **प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु** नहीं जोड़ा जायेगा।

"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए निरूपित **अनिवार्य विषय के नियम–8**(ख) (A) एवं नियम–8(ग) (A) **(माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक)** में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों के उत्तर पुस्तिका की जाँच की जायेगी। **इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।**

23 **नियमावली के नियम–8 (च)** (ii) **में अंकित प्रावधान है:–**

कंडिका –(ग) (C) (I) (II) (III) में से प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

"को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है

नियम–8(ग) (D) (I) (II) (III) में से प्रत्येक विषय में 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

24. नियमावली के नियम–8 (झ) में अंकित है:– अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना प्रतियोगिता परीक्षा में उनके द्वारा विभिन्न विषयों/पत्रों में प्राप्त अंकों को समेकित कर किया जायेगा। उन्हें प्रत्येक विषय अथवा पत्र में अलग–अलग उत्तीर्णांक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा। शब्द समूह "समेकित कर किया जाएगा" के पश्चात के वाक्य "उन्हें प्रत्येक विषय अथवा पत्र में अलग–अलग उत्तीर्णांक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होंगा" को विलोपित किया जाता है।

25. नियमावली के नियम–17 में अंकित "सुसंगत नियमावली" को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

26. नियमावली के नियम–19 (ब) (i) में अंकित "विशेष परिस्थिति में विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक प्राथमिक शिक्षा सीधे निलम्बन आदेश निर्गत कर सकते हैं, जिसको मानना नियुक्ति प्राधिकार के लिए बाध्यकारी होगा।" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"विशेष परिस्थिति में विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त सीधे निलंबन आदेश निर्गत कर सकते हैं, जिनको मानना नियुक्ति प्राधिकार के लिए बाध्यकारी होगा। उपरोक्त निलंबन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी निरीक्षण के लिए भी प्राधिकृत होंगे।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

6/6/23

(के० रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 15/नि01–02/2021 765 / राँची, दिनांक 06/06/2023

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

6/6/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : 15/नि01–02/2021 765 / राँची, दिनांक 06/06/2023

प्रतिलिपिः– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सदस्य राजस्व पर्षद/विकास आयुक्त/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/6/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 15/नि01–02/2021 765 / राँची, दिनांक 06/06/2023

प्रतिलिपिः– महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/6/23

सरकार के सचिव।